कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, इंदौर म0प्र0

//निविदा आमंत्रण सुचना//

जिला एवं सत्र न्यायालय इंदौर हेतु सफाई सामग्री के क्रय बाबद् सीलबंद निविदायें आमंत्रित की जा रही है। इच्छुक व्यापारी/विक्रेता/निर्माता अपनी निविदायें सीलबंद कर पूर्ण जानकारी सहित जिला एवं सत्र न्यायालय इंदौर में नवीन संशोधित दिनांक 05.09.2022 को दोपहर 02:00 बजे तक आवक जावक शाखा में जमा कर सकते है। प्राप्त निविदायें नवीन संशोधित दिनांक 05.09.2022 को सांय 05:00 बजे निविदा समिति के समक्ष निविदाकर्ता/प्रतिनिधि के समक्ष खोली जाएगी। निविदायें प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश इदौर के नाम से प्रस्तुत की जावेगी। निविदा की शर्ते एवं सामग्री की सम्पूर्ण जानकारी मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की वेबसाइट www.mphc.gov.in एवं जिला न्यायालय इंदौर की वेबसाइट www.districts.ecourts.gov.in/indore पर भी उपलब्ध है, जहां से निविदा प्रारूप एवं शर्ते डाउनलोड की जा सकती है।

कृते– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जिला इंदौर(म.प्र.)

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, इंदौर मध्य प्रदेश

:: निविदा शर्ते ::

1— सील बंद निविदायें जिला न्यायाधीश, इंदौर के नाम से नवीन संशोधित दिनांक 05.09.2022 को दोपहर 02:00 बजे तक प्राप्त हो जाना चाहिए। उक्त निविदा नवीन संशोधित तिथी 05.09.2022 को सांय 05:00 बजे निविदाकर्ताओं के समक्ष जिला न्यायालय में गठित निविदा समिति द्वारा खोली जाएगी।

2— जिस सामग्री के संबंध में निविदा प्रस्तुत की जा रही है, उसका नाम निविदा फार्म पर स्पष्ट लिखा जावे।

3— नियत दिनांक एवं समय के पश्चात् निविदा प्राप्त होने पर विचार नहीं किया जावेगा।

4— आदेश अनुसार सामग्री न्यायालय तक पहुंचाए जाने का समस्त दायित्व निविदाकार का होगा।

5— प्रधान जिला न्यायाधीश इंदौर को यह अधिकार होगा कि निविदा खोलते समय यदि किसी सामग्री की दर अन्य निविदाकर्ता द्वारा प्रस्तुत दरों से अपेक्षाकृत कम है तो ऐसी स्थिति में दरों के आधार पर एक से अधिक निविदाकर्ताओं से पृथक पृथक अनुबंध किया जा सकता है एवं बिना कोई कारण बताए किसी भी निविदा अथवा सभी निविदाओं को निरस्त कर सकते है।

6— निविदा में प्रत्येक सामग्री किस कंपनी द्वारा निर्मित है, सामग्री का साईज नाप, तौल आदि निविदा में अंकित करना अनिवार्य है।

7— निविदा एवं निविदा के साथ संलग्न सभी दस्तावेजों में निविदाकर्ता के हस्ताक्षर व सील होना आवश्यक है।

8— निविदाकार द्वारा दी गई सूची की सामग्री आवश्यकतानुसार स्वीकृत दर एवं मात्रा पर प्रदाय करने हेतु निर्धारित तिथि तक बाध्य होगा।

9— प्रदाय की गई कोई भी सामग्री चाही गई कंपनी की न होने पर अथवा उससे निम्न स्तर की होने की दशा में ऐसी सामग्री निविदाकार को अपने व्यय पर वापस उठाना होगा तथा कंपनी के अनुसार सामग्री अतिशीघ्र प्रदाय करनी होगी।

10— निविदा मे प्रत्येक सामग्री का स्पष्ट विवरण होना चाहिए, एवं प्रत्येक सामग्री का सेम्पल होना चाहिए, जो सेम्पल प्रस्तुत नही करेगा, उसकी निविदा पर विचार नही किया जायेगा।

11— निविदा से सम्बंधित शर्ते एवं प्रदाय किए जाने वाले सामान की सूची उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की वेबसाईट www.mphc.gov.in एवं जिला न्यायालय इन्दौर की वेबसाईट www.districts.ecourts.gov.in/indore से डाउनलोड किया जा सकता है।

12— निविदा आवेदन पत्र मय शर्तो एवं सामग्री सूची तथा राशि 250/— डीडी/ आनलाईन के माध्यम से शासन का हैड '0070—01—800—0000' मे जमा कर चालान की मूलप्रति प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, इन्दौर के नाम से प्रस्तुत की जायेगी तथा राशि 250/— किसी भी स्थिति मे वापसी योग्य नही होगी।

13— सामग्री का आदेश प्राप्त होने पर सामग्री निर्धारित अवधि मे प्रदाय करनी होगी।

14— निविदा की दरें अनुबंध दिनांक से **मार्च 2023** तक मान्य होगी एवं अनुबंध आपसी समझौते पर और विक्रेता के संतोषजनक प्रदर्शन की अधीन अनुमोदित दरों पर आगामी एक और वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है।

15— निविदाकार, वाणिज्यकर/जीएसटी पंजीयन होने का जीवित प्रमाण—पत्र की छायाप्रति संलग्न करें तथा साथ ही फर्म ने आयकर अदा किया है उस पर कोई कर बकाया नहीं है स्पष्ट करें।

16— सफाई सामग्री की सूची के अनुसार जिन सामग्रियों के निर्माता कंपनीयों के नाम अंकित है, केवल उन्हीं कंपनियों के सामग्री की दर देवें। अन्यथा मान्य नहीं होगी।

17— निविदाकारों को सुरक्षा निधि के रूप में 5,000/— रूपए की ईएमडी/एफडीआर के रूप में निविदा के साथ जमा करनी होगी, जो कि 31 मार्च 2023 तक वैध हो। एफडीआर के अतिरिक्त कोई भी ईएमडी जमा करने पर निविदाकरों की निविदा निरस्त की जा सकती है।

18— सभी सफाई सामग्री के ब्रान्डेड/नॉन ब्रॉडेंड के नमूने निविदा खोली जाते समय निविदा समिति द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत करना होगा।

19— किसी भी शर्त के भंग होने पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश इंदौर को अनुबंध निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा तथा सुरक्षा निधि राजसात कर ली जाएगी।

20— शासन द्वारा लागू जीएसटी की दरें अधिक या कम होने पर विचारणीय होगा।

21— सम्पूर्ण सामग्री की दरें समस्त करों सहित दी जाये।

22— **<u>वित्तीय/तकनीकी लिफाफे—</u>** निविदाकर्ता पृथक—पृथक वित्तीय, तकनीकी एवं ईएमडी की राशि वाले लिफाफे तैयार कर उन पर वित्तीय, तकनीकी विड, ईएमडी लेख करते हुए उक्त तीनों लिफाफों को चौथे लिफाफें में मुहरबंद कर निविदा प्रस्तुत की जाएगी।

23— निविदा खोली जाते समय सर्वप्रथम तकनीकी विड एवं ईएमडी की राशि के लिफाफे खोले जाएंगे जिस निविदाकर्ता द्वारा ईएमडी की राशि एवं तकनीकी विड से संबंधित चाहे गए आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जाएंगे उन निविदाकर्ताओं की निविदा पर वित्तीय विड के संबंध में कोई विचार नहीं किया जावेगा। तकनीकी विड में सफल निविदाकर्ताओं के ही वित्तीय पेड के लिफाफे खोले जाएंगे।

24— निविदा द्वारा सामग्री की जो भी दरें दी गई है, वह एक वर्ष के लिए यथावत रहेगी निविदाकारों द्वारा किसी भी वस्तु की दर बढ़ाने हेतु किसी भी प्रकार का विचार नहीं किया जावेगा।

25— निविदा प्रस्तुत करते समय निविदा से संबंधित आवश्यक जानकारी हेतु जिला नाजिर नजारत अनुभाग, इंदौर के मोबाईल नंबर 9826602840 पर संपर्क किया जा सकता है।

कृते— प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जिला इंदौर(म.प्र.)

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

नाम एवं पताः—

परिशिष्ट – ए
सफाई सामग्री का विवरण

कमांक	सामग्री का नाम	दर प्रति नग/किलो /लीटर (जी.एस.टी. सहित)
1.	ब्लीचिंग पाउडर	
2.	फिनाईल कम्पाउंड	
3.	हैण्ड ग्लब्ज हैवी सफाई वाले	
4.	फिनाईल गोली	
5.	डस्टिंग क्लाथ	
6.	पौछा क्लाथ	
7.	स्वीपर झाडू बांस डंडा	
8.	फूल झाडू	
9.	मोप पौंछा	
10.	आयरन रबर वाइपर	
11.	टॉयलेट क्यूब	
12.	ओडोनील बाथरूम फ्रेशनर	
13.	डस्टबिन स्माल	
14.	हारपिक टॉयलेट क्लीनर	
15.	ताला	
16.	डेटॉल हैंडवाश	
17.	एसिड	
18.	ऑल आउट मशीन	
19.	ऑल आउट रिफिल	
20.	काला हिट	
21.	सर्फ पाडर	
22.	रूम फ्रेशनर	

परिशिष्ट–बी
तकनीकी विड में प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज

कमांक	दस्तावेजों का विवरण	रिमार्क
1	वित्तीय, तकनीकी विड एवं ई.एम.डी के अलग अलग लिफाफे	
2	ई.एम.डी की राशि	
3	पेन नंबर	
4	आयकर विवरणी1	
5	जीएसटी रजिस्ट्रेशन	
6	नगद जमा की रसीद/डीडी राशि 250/–	